

सहायक कुलसचिव
(सम्बन्धन)
Asst.Registrar
(Affiliation)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2221718

पत्रांक : 810वृ0स0-सम्बद्धता/06/ 446 / (प्र.अनु)/2012.

दिनांक : 07 मई, 2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मीमपुरा नं०-1,
बलिया।

विषय :-स्वतन्त्रपक्षित योजनान्तर्गत बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में चयनित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 21.03.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का लक्ष्य करें, इस संदर्भ में सूचित करना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित चयन समिति की संस्तुति एवं इस संदर्भ में प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्वतन्त्रपक्षित योजनान्तर्गत पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर अधोलिखित विवरण को अनुसार निवृत्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसको लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित गये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र.	नाम	पिता का नाम	पद का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता
1.	डॉ० सत्येन्द्र सिंह	श्री विजय बहादुर सिंह	विभागाध्यक्ष-बी०पी०एड०	01.07.1963	एम०पी०एड०-पी०एच०डी०
2.	शुश्री ज्योति सोनी	स्व० ओम प्रकाश सोनी	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	05.06.1986	एम०पी०एड०
3.	श्री अभिमन्यु कुमार सिंह	श्री देव लाल सिंह	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	20.04.1984	एम०पी०एड०
4.	श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा	श्री कैलाश विश्वकर्मा	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	07.02.1984	एम०पी०एड०
5.	श्री नवहिन जगज	श्री गो० राजगज	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	10.11.1986	एम०पी०एड०
6.	श्री प्रवीन कुमार मौर्य	श्री रामभूति मौर्य	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	12.07.1987	एम०पी०एड०
7.	श्री निरंजन कुमार शर्मा	श्री सन्तन शर्मा	प्रवक्ता-बी०पी०एड०	06.07.1981	एम०पी०एड०

अतः उपरोक्त को शरणादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित) एवं अन्य अभिलेख कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करावे, इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्रवक्ताओं को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, अध्यापकों के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टपेरी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परीक्षा नियंत्रक, म०गं०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

मधुवीर,
7/05/12
(ओम प्रकाश)
सहायक कुलसचिव

(ओम प्रकाश)
सहायक कुलसचिव